

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

सकारण आदेश

दिनांक-22.09.2026

CWJC NO.-11648 / 2026 कंचन कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-10.08.2026 को आदेश पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"In the light of the objection raised by the Counsel for the State, the present writ petition stands disposed off directing the petitioners to file their separate representation before Respondent No. 3, namely, the Additional Chief Secretary, Finance Department, Government of Bihar, Patna, afresh within 30 days from today along with a copy of this order. Upon receipt of such representation, the said respondent or any other competent officer who is in-charge of office of Respondent No. 3 is directed to consider and dispose of the same by passing a reasoned and speaking order, after affording an adequate opportunity of hearing to the petitioners within 90 days from the date of its filing".

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में कुल 50 याचिकाकर्त्ताओं द्वारा विभिन्न तिथियों में अभ्यावेदन वित्त विभाग में समर्पित किया गया। उक्त प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में वित्त विभागीय पत्रांक-8738 दिनांक-18.09.2026 द्वारा याचिकाकर्त्ताओं को विधिवत् नोटिस निर्गत कर दिनांक-22.09.2026 को अपराह्न 03:00 बजे Virtual Mode में सुनवाई की गयी।

3. उक्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्त्ताओं द्वारा Video Conferencing के माध्यम से मौखिक रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. याचिकाकर्त्ताओं में से श्रीमती कंचन कुमारी, श्री गोविन्द झा, श्रीमती प्रियंका कुमारी, श्री मनोज कुमार शर्मा, श्री प्रकाश कुमार एवं श्री प्रशान्त कुमार द्वारा अपना पक्ष रखा गया। अपना पक्ष रखते हुए उनके द्वारा बताया गया कि वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-6839, दिनांक-26.06.2024 के आलोक में वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं समकक्ष वेतन स्तर-11 के पद पर उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त होने के पश्चात् विधिवत् योगदान के उपरान्त भी अब तक वे वेतन स्तर-9 के पद पर ही कार्यरत हैं। उन्हें आर्थिक लाभ तो प्राप्त हुआ, परन्तु उन्हें वास्तविक पद पर पदस्थापन का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। उनके द्वारा अपने उच्चतर पद का वेतन स्तर-11 के अनुरूप बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा में स्वीकृत पद पर वास्तविक रूप से पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया।

R Mandal
24-09-2026

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित प्रावधान के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के वेतन स्तर-9 के कुल 79 (उनासी) पदाधिकारियों को उनके द्वारा धारित पद को उत्क्रमित करते हुए वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-6839, दिनांक-26.06.2024 द्वारा वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं समकक्ष (वेतन स्तर-11) का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है।

6. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्त्ताओं का पदस्थापन उनके वेतन स्तर-11 के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है।

7. अतः विभागीय राजपत्रित स्थापना (प्रशाखा-1) को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है।

उक्त निदेश के साथ याचिकाकर्त्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन किया जाता है।

ह०/-

(विनय कुमार)

प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-01 / स्था०(विधि)-02 / 2026..... / वि०, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-सभी याचिकाकर्त्ताओं को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(राम चन्द्र मंडल)

अवर सचिव,

वित्त विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-01 / स्था०(विधि)-02 / 2026, 9005 / वि०, दिनांक-24/09/2026

प्रतिलिपि:-श्री महावीर प्रसाद शर्मा, भा०प्र०से०, विशेष सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना-1, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

R.Mandal

24-09-2026

अवर सचिव,

वित्त विभाग, बिहार, पटना।